

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 5448/2016
होतीलाल बनाम सुरेश व अन्य

आदेश दिनांक: 09.12.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री महेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता- याची की ओर से।
श्री अलादीन खान, लोक अभियोजक।

कमीपूर्ति के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।
प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/10